XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक अपील 2259—चार / 00 जिला—छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15—7—15	इस प्रकरण में दिनांक 14—5—13 के बाद से आवेदक की ओर से कोई उप.नहीं हो रहा है । अना. की ओर से श्री राजेश सेन, अभि. उप. । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
5-8-15	प्रकरण का अवलोकन किया । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

COURT FEE 5 Rs. भारत पाँच रुपये FIVE RUPEES INDIA

माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

cf-15/-

राजस्व निगरानी प्रकरण क्रमांक सन 2000

शुम्मा तनय श्री गजईयां कोरी निवासी ग्राम परा.नियां तहसील लौंड़ी जिला छतरपुर म0प्र0- प्रार्थी

बनाम

① शिवकुमार तनय श्री बाबूलाल तिवारी निवासी ग्राम परा.नियां तहसील लौंड़ी जिला छतरपुर हाल निवासी ग्राम चंदला (नरसिंह मन्दिर के पास) तहसील लौंड़ी जिला छतरपुर म0प्र0- प्रतिप्रार्थी गण

2. मध्य प्रदेश शासन

निगरानी विरुद्ध आदेश श्री मान अतिरिक्त कमिश्नर महोदय, सागर संभाग सागर दिनांक 24/8/2000 जो निगरानी प्रकरण क्र0 214/अ-19/94-95 में पारित किया गया ।

मान्यवर महोदय,

प्रार्थी सादर निम्न लिखित विनय प्रस्तुत करता है-

1. यह कि प्रार्थी एक गरीब हरिजन काश्तकार व्यक्ति हैं उपरोक्त ग्राम परा.नियां तहसील लौंड़ी जिला छतरपुर की शासकीय भूमि खसरा नं0 340/1, रकबा 0.688 है0 पर पूर्वजों के समय से लगातार कब्जा चला आ रहा है और उक्त आराजी के आधे भाग पर प्रार्थी का खलिहान एवं खरौरा तथा मकान आदि हैं । परन्तु नायब तहसीलदार बछौन नें उक्त भूमि का व्यवस्थापन गुप्त एवं अवैधानिक रूप से प्रतिप्रार्थी क्र0 1 के नाम प्रकरण क्र0 238/अ-19(4)/87-88 में पारित आदेश दिनांक 6/7/88 के द्वारा दखलरहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबंध अधिनियम 1984 के अन्तर्गत भूमि स्वामी हक पर कर दिया गया था । जिसकी जानकारी होनें पर प्रार्थी नें अनुविभागीय अधिकारी महोदय, लौंड़ी के न्यायालय में शिकायत की थी जिनके जांच प्रतिवेदन के अनुसार कलेक्टर महोदय छतरपुर नें नायब तहसीलदार महोदय, द्वारा पारित आदेश दिनांक

नि.अ. शुम्मा

-2-